

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- अशोक सांगवा, आर.ए.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 59/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गनी खॉ पुत्र कोजु खॉ जी		1. ताजु खॉ पुत्र ईबु खांजी
2. रसाल खॉ पुत्र कोजु खॉ जी		2. जकाऊखॉ पुत्र ईबु खांजी
3. उम्मेद खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		3. बरे खॉ पुत्र ईबु खांजी
4. रमजान खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		4. सोडे खॉ उर्फ शरीफ खॉ पिसरान ईबु खॉजी
5. गांधी खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर कापरड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
6. बाबू खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर
7. लाडू खॉ पुत्र हकीम खॉ जी		6. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा भावी
8. हिदायत खॉ पुत्र श्री सुल्तानखॉ सभी जातियान सिन्धी मुसलमान निवासीगण सिन्धीनगर कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 25.01.2017

पत्रावली वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र पर आज पेश हुयी।  
वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् वाद वापसी पेशकर जाहिर किया कि वाद  
में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में कोई वाद कारण नहीं  
रहा है तथा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद आगे चलाना नहीं चाहते है तथा  
प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहते है।

वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्त में जाहिर किया कि वाद  
वादीगण जरिये वाद वापसी खारीज किया जावे।

अतः वादीगण का वाद जरिये विद्माल के खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फैशलसुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरै इजलास  
सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा